न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	तारीख दायर	अन्तिम निर्णय दिनांक
1/56	08.05.2024	18.08.2025

बउनवान

01. परभातीलाल पुत्र ग्यारसीलाल जाति बैरवा निवासी रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा, काश्तकार ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर

वादी

बनाम

01. बलराम पुत्र धन्नीराम जाति चमार निवासी बिलन्दी काश्तकार ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर

असल प्रतिवादी

02. तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर लैण्ड होल्डर

तकमीली प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर) राज0 राजस्व विभाग

निर्णय

वकील वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खाता नम्बर 915 आराजी खसरा नम्बर 2402/4453 रकबा 0.25 हैक्टेयर, वाके ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा वादी का 1/2 हिस्सा चला आ रहा है। जिसमे वादी मुताबिक जमाबंदी के हिस्से अनुसार चला आ रहा है तथा प्रतिवादी अपने हिस्से अनुसार कब्जे काश्त खातेदारी चली आ रही है। वादी एवं प्रतिवादी असल अपने –अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी ने कई बार उक्त विवादित आराजी के बटवारा कर खाता अलग करने हेतु प्रतिवादी से कहा तो असल प्रतिवादी ने तकासमा करने से स्पष्ट इंकार कर दिया। प्रतिवादी जबरन वादी के हिस्से की आराजी पर मजाहमत पैदा करते है। प्रतिवादी ने वादी को बेदखल करने की धमकी दी। विवादित आराजी अबट काश्त भूमि है। उक्त विवादित आराजी का आज दिनांक तक लिखित मे तकासमा नही हुआ है। असल प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त हिस्से की आराजी में आये दिन रूकावट व मजाहमत पैदा करते है। जिस कारण वादी का शामलाती में काश्त करना दुश्वार हो गया है। प्रतिवादी विवादित आराजी का बिना तकासमा कराये दीगर व्यक्ति को रहन बय व अन्य प्रकार से अन्तरण करने की धमकी देता है। वादी ने विवादित आराजी को अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी तकसीम की जाकर वादी का 1/2 हिस्सा पृथक किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर वाद प्रारम्भिक डिक्री करने पर अनापत्ति अंकित की।

पत्रावली का अवलोकन व उभय पक्ष की बहस पर मनन पश्चात पत्रावली मे प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02.12.2024 मे जारी की गयी कि तहसीलदार मालाखेडा को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदी सम्वत् 2070—2075 खाता संख्या नया 915 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 2402/4453 रकबा 0.25 हैक्टेयर वाके ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा का वादी व प्रतिवादी का 1/2, 1/2 हिस्से का मौके पर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी के आधार पर रिकार्ड व मौके के अनुसार रास्ते की सुविधा का ध्यान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा बैरंग सुर्खी मे दर्शाते हुए प्रस्तुत करें।

उक्त वादपत्र के संबंध मे तहसीलदार मालाखेडा द्वारा अपने पत्र क्रमांक—भू.अ./2025/1608 दिनांक 08.05.2025 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव पेश किये, जो निम्न प्रकार है:—

(1) परभाती लाल पुत्र ग्यारसी लाल हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा ग्राम रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा खातेदार ख0 संख्या 2402/4453/1 रकबा 0.125 हैक्टेयर, किस्म बारानी2

(2) बलराम पुत्र धन्नीराम हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा सा0 बिलन्दी खातेदार खसरा संख्या 2402/4453/2 रकबा 0.125 हैक्टेयर किस्म बारानी2

बाद मुताबिक कुर्रेजात अन्तिम डिक्री किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे पक्षकारान को खातेदारी दर्ज करने हेतु तहसीलदार मालाखेडा को आदेशित किया जाता है। इसी अनुरूप पर्चा डिक्री बनायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	तारीख दायर	/अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
1/56	08.05.2024	18.08.2025

बउनवान

01. परभातीलाल पुत्र ग्यारसीलाल जाति बैरवा निवासी रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा, काश्तकार ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर — वादी

बनाम

01. बलराम पुत्र धन्नीराम जाति चमार निवासी बिलन्दी काश्तकार ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर — असल प्रतिवादी

02. तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर लैण्ड होल्डर

तकमीली प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

पर्चा डिक्री

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट इस प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि :–

(1) परभाती लाल पुत्र ग्यारसी लाल हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा ग्राम रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा खातेदार ख0 संख्या 2402/4453/1 रकबा 0.125 हैक्टेयर, किस्म बारानी2 के खातेदार रहेगें।

(2) बलराम पुत्र धन्नीराम हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा सा0 बिलन्दी खातेदार खसरा संख्या 2402/4453/2 रकबा 0.125 हैक्टेयर किस्म बारानी2 के खातेदार रहेगें।

उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे पक्षकारान को खातेदारी दर्ज करने हेतु तहसीलदार मालाखेडा को आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.08.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर जारी की गयी। तहसीलदार मालाखेडा को अहकाम जारी हो।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)